सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय : अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : डा. गुंजन सोनी आर0ए0एस0

निगरानी प्रकरण सं0 12/2018

1. रामकुमार पुत्र श्री दुलीचन्द पुत्र जयमलराम जाति जाट भुवाल आयु करीब 46 वर्ष निवासी 12 एफ मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

निगरानीकर्ता

बनाम

1. ग्राम पंचायत मिर्जेवाला तहसील जिला श्रीगंगानगर द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत मिर्जेवाला।
2. दुलीचन्द पुत्र जयमल राम जाति जाट निवासी मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर

गैरनिगरानीकर्ता

निगरानी अन्तर्गत धारा 97, राज0 पंचायती राज अधिनियम 1994 निगरानी विरूध पट्टा दिनांक 23.12.2002 ग्राम पंचायत मिर्जेवाला जो कि निगरानी कर्ता के कब्जा की जगह मकान की जगह का अप्रार्थी संख्या 01 के नाम से जारी किया हुआ है (पट्टा फर्जी बनाया हुआ है) को निरस्त करवाने बाबत।

उपस्थित :–

1. श्री रामगोपाल स्वामी अधिवक्ता निगरानीकर्ता
2. श्री सुखविन्द्र सिंह गिल अधिवक्ता गैरनिगरानीकर्ता सख्या 02

:: आदेश ::

दिनांकः 05.08.2020

हस्तगत निगरानी अदालत के समक्ष प्रस्तुत हुई, जिसके सक्षेंप में तथ्य इस प्रकार हैं कि पट्टा जिसकी फोटो प्रति शामिल है तथा पंचायत की लिखित 06.08.2015 जिसकी प्रति शामिल है से यह स्पष्ट है कि यह फर्जी बना हुआ है। रिकॉर्ड में पट्टा जारी ना होना पाये जाने का लिखित में देने से प्रमाणित प्रति मिलान सम्भव नहीं है। अतः फोटो प्रति जो शामिल है के आधार पर कार्यवाही नहीं करना आवश्यक है। पट्टा हर प्रकार से निरस्तनीय है। उक्त स्थान जिसका पट्टा जारी किया गया है ना तो अप्रार्थी संख्या 02 के कब्जा में रहा है ना ही उसका कोई हक तालुक वास्ता रहा है ना हो सकता है क्योंकि यह मकान की जगह निगरानीकर्ता के दादा स्व0 जयमलराम की पुराने कब्जा की थी उसी ने इसमें कुछ निर्माण करवाया व अपने जीवन काल में निगरानीकर्ता को दे गया तथा निगरानीकर्ता ने सन् 2000 में इसके वाद समय–समय पर अपनी लागत से निर्माण करवाया हुआ है, फोटो ग्राफ पेश है जिसके अवलोकन से यह स्पष्ट है कि निगरानीकर्ता का मकान है। अतः पट्टा गलत जारी करवाया गया अथवा फर्जी बनवाया गया है जो कि हर प्रकार से निरस्तनीय है। अप्रार्थी संख्या 02 के पास पहले से ही मिर्जेवाला की आबादी में 80X72 फीट का मकान नम्बर 48 ग्राम पंचायत मिर्जेवाला में है तथा एक मकान चक 7 जैड

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

तहसील श्रीगंगानगर में भी है इस प्रकार से उसका ना तो कभी उक्त पट्टा की जगह के भूखण्ड पर कब्जा रहा ना ही होने का प्रशन है वह अपने पिता से अलग रहता था। अतः जयमलराम का उक्त पट्टा की जगह पर पुराना काबिज होने से हकदार था तथा वह निगरानीकर्ता को दे गया। अतः निगरानीकर्ता पट्टा अपने नाम से जारी करवाने का हकदार है। कानूनी जानकारी के अभाव में ही कार्यवाही नहीं की जा सकी। ग्राम पंचायत ने लिखित में दिया है कि उसके रिकॉर्ड में 23.12.2002 का कोई पट्टा जारी करने का रिकॉर्ड में नहीं है से स्पष्ट है कि वास्तव में कोई पट्टा पंचायत ने जारी नहीं किया। अगर तत्कालीन सरपंच से मिलीभगत करके जारी करवाया गया है तो भी गलत होने से निरस्तनीय है। वास्तव में उक्त पट्टा की जगह भूखण्ड पर प्रार्थी का मकान बना हुआ है। ग्राम पंचायत ने वास्तव में कभी कोई मीटिंग की ना हो, उक्त जगह का पट्टा जारी करने का प्रस्ताव पास किया ना ही कोई कमेटी गठित करके जांच करवाई, कब्जा की जांच करवाई ना हो कथित पुराना कब्जा की जांच की और केवल 200 रूपये का पट्टा जारी कर दिया। पट्टा की फोटो प्रति से स्पष्ट है कि कथित प्रस्ताव संख्या 02 दिनांक 20.08.2002 को पारित करने का लिखा गया है जबकि पट्टा 23.12.2002 का है जो कि स्पष्ट ही गलत जारी किया गया है क्योंकि इस रोज कब्जा प्रार्थी का ही था। ग्राम पंचायत ने अन्य कोई भी विधिक व कानुनी प्रकिया नहीं अपनाई ना ही कोई आपत्ति सूचना प्रकाशित की ना किसी समाचार पत्र में साया करवाया ना ही पंचायत मुख्यालय पर आपत्ति सूचना प्रकाशित व चस्पा की गई ना ही कोई आपत्ति मांगी गई ना ही अन्य आवश्यक प्रकिया अपनाई गई बल्कि पट्टा गलत जारी किया गया है जो कि हर प्रकार से निरस्तनीय है। अतः निगरानीकर्ता की निगरानी स्वीकार की जाकर पट्टा दिनांक 23.12.2002 निरस्त फरमाया जाने का आदेश फरमाया जावें।

निगरानी से सबंधित मूल रेकार्ड ग्राम पंचायत से तलब किया गया। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

निगरानीकर्ता के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि उक्त विवादित स्थान जिसका पट्टा जारी किया गया है ना तो अप्रार्थी संख्या 02 के कब्जा में रहा है ना ही उसका कोई हक तालुक वास्ता रहा है ना हो सकता है क्योंकि यह मकान की जगह निगरानीकर्ता के दादा स्व0 जयमलराम की पुराने कब्जा की थी उसी ने इसमें कुछ निर्माण करवाया व अपने जीवन काल में निगरानीकर्ता को दे गया तथा निगरानीकर्ता ने सन् 2000 में इसके बाद समय–समय पर अपनी लागत से निर्माण करवाया हुआ है, फोटो ग्राफ पेश है जिसके अवलोकन से यह स्पष्ट है कि निगरानीकर्ता का मकान है। अतः पट्टा गलत जारी करवाया गया अथवा फर्जी बनवाया गया है। अप्रार्थी संख्या 02 के पास पहले से ही मिर्जेवाला की आबादी में 80X72 फीट का मकान नम्बर 48 ग्राम पंचायत मिर्जेवाला में है तथा एक मकान चक 7 जैड तहसील श्रीगंगानगर में भी है इस प्रकार से उसका ना तो कभी उक्त पट्टा की जगह के भूखण्ड पर कब्जा रहा ना ही होने का प्रशन है वह अपने पिता से अलग रहता था। अतः जयमलराम का उक्त पट्टा की जगह पर पुराना काबिज होने से हकदार था तथा वह निगरानीकर्ता को दे गया। अतः निगरानीकर्ता पट्टा अपने नाम से जारी करवाने का हकदार है। कानूनी जानकारी के अभाव में ही कार्यवाही नहीं की जा सकी। ग्राम पंचायत ने लिखित में दिया है कि उसके रिकॉर्ड में 23.12.2002 का कोई पट्टा जारी करने का रिकॉर्ड में नहीं है से स्पष्ट है कि वास्तव में कोई पट्टा पंचायत

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

ने जारी नहीं किया। कथित प्रस्ताव संख्या 02 दिनांक 20.08.2002 को पारित करने का लिखा गया है जबकि पट्टा 23.12.2002 का है जो कि स्पष्ट ही गलत जारी किया गया है क्योंकि इस रोज कब्जा प्रार्थी का ही था। अतः निगरानीकर्ता की निगरानी स्वीकार की जाकर पट्टा दिनांक 23.12.2002 निरस्त फरमाया जाने का आदेश फरमाया जावें।

गैरनिगरानीकर्ता सख्या 02 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रस्ताव संख्या 02 दिनांक 20.08.2002 को पारित कर दिनांक 23.12.2002 का पट्टा जारी किया गया है। उक्त पट्टा की जगह पर गैरनिगरानीकर्ता का ही कब्जा है। रिकॉर्ड ग्राम पंचायत द्वारा भिजवाया जाना है। प्रस्ताव संख्या 02 दिनांक 20.08.2002 की पालना की पालना में दिनांक 23.12.2002 को ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया गया है वह सही है। अतः निगरानीकर्ता की निगरानी खारिज फरमाई जाकर पट्टा दिनांक 23.12.2002 को बहाल रखा जावें।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि उक्त विवादित स्थान जिसका पट्टा जारी किया गया है उक्त पट्टा की जगह निर्मित कि फोटो ग्राफ के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि निगरानीकर्ता का मकान है। अतः पट्टा गलत जारी करवाया गया अथवा फर्जी बनवाया गया है। उक्त विवादित जगह का पट्टा निगरानीकर्ता के दादा जयमलराम के नाम से है जो उसने उसने निगरानीकर्ता को दिया हुआ है। ग्राम पंचायत ने भी लिखित में दिया है कि उसके रिकॉर्ड में 23.12.2002 का कोई पट्टा जारी करने का रिकॉर्ड में नहीं है से स्पष्ट है कि वास्तव में कोई पट्टा पंचायत ने जारी नहीं किया। फलस्वरूप निगरानीकर्ता की निगरानी स्वीकार की जाकर पट्टा दिनांक 23.12.2002 निरस्त जाता है। आदेश की प्रति सम्बन्धित ग्राम पंचायत को भिजवाई जावें एवं रिकॉर्ड लौटाया जावें।

आदेश आज दिनांक 05.08.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डा. गुंजन सोनी)
अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner